संख्या-127/2021/2451/26-3-2021-6(विविध)/2017

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 03 नवम्बर 2021

विषयः- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनपद ललितपुर के ग्राम व परगना बानपुर, तहसील-महरौनी में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-158/ज0जा0वि0/2021-22, दिनांक-19.08.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनपद ललितपुर के ग्राम व परगना बानपुर, तहसील-महरौनी में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु रू0 104.15 लाख की धनराशि चतुर्थ किश्त के रूप में स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद ललितपुर के ग्राम व परगना बानपुर, तहसील-महरौनी में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-88/2017/आर-1195/ 26-3-2017-6(विविध)/2017, दिनांक-01.06.2017 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0-500.00 लाख, शासनादेश संख्या-151/2020/2652/26-3-2020-6 (विविध)/2017,दिनांक-27.11.2020द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख एवं शासनादेश संख्या- 58/2021/1060/26-3-2021-4(विविध)/ 2017 दिनांक-25.03.2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 388.00 लाख अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-81 के संविधान के अनुच्छेद 275(1)के अन्तर्गत जनपद ललितपुर के ग्राम व परगना बानपुर, तहसील-महरौनी में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु **चतुर्थ किश्त के रूप में रू0-104.15 लाख(रू0-एक करोड़ चार लाख पन्द्रह हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1)-निदेशक, जनजाति विकास उ0प्र0 द्वारा कार्यदायी संस्था यू.पी.पी.सी.एल. के प्रबन्ध निदेशक से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखाना/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(4)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(5)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(6)-वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021- 231/2021 दिनांक-22 मार्च 2021 में दिये गये दिशा- निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(8)-अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

(9)-आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(10)-परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11)-स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(12)-प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(13)-योजनान्तर्गत बाट आउटस आइटम की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेंटेज चार्ज देय नहीं होगा।

(14)-यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटिरिंग भी किया जायेगा।

(15)-प्रश्नगत कार्य में शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020 दिनांक-12.05.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण- 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-1823-दस-2021-2022 दिनांक-27.10.2021 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

राकेश कुमार सचान
उप सचिव

पृ0संख्या- 127/2021/2451/26-3-2021-6(विविध)/2017,तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,प्रयागराज।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2,उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- प्रबंध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ, उ0प्र0।
8- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, ललितपुर।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राकेश कुमार सचान
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।